



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



शपथ-पत्र

(प्रारूप-"अ")

GH 163012

हम डा० मंजरी एवं डा० प्रदीप कुमार क्रमशः अध्यक्ष एवं महासचिव इंस्टीट्यूट ऑफ इन्व्वायरमेंट एण्ड मैनेजमेंट पता अल्हापुरी, कुर्सी रोड, लखनऊ शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा आई०ई०एम० इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मोसी नामक डिप्लोमा इन फार्मोसी संस्थान की स्थापना सन 2023-24 में किया जाना प्रस्तावित है।

Sworn & Verified
Before Me

AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
VII, Dowl. Cantt. Road,
Adampur, Jangli, Lucknow

2. यह कि हमारी सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ इन्व्वायरमेंट एण्ड मैनेजमेंट के प्रस्तावित आई०ई०एम० इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मोसी, बाराबंकी में गाटा संख्या 1293 द एवं हेक्टेयर कुल रकबा 4.99 एकड़ रकबा क्रमशः 2.01 हेक्टेयर भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 1293 द रकबा क्रमशः 4.99 एकड़ में से कुल रकबा 2 एकड़ / 0.80 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मोसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 04/03/2022 द्वारा पारित किया गया है।

Mangani

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रसंगत डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विद्यालय द्वारा अनुमोदित सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई०टी०आई० आदि का संचालन प्रस्तावित भूमि पर वर्तमान में नहीं किया जा रहा है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करेगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।



Amrish Kumar

**Sworn & Verified
Before Me**

AMRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
VII, DAVI GANJ, ANAYAS
Adampur, Janubi, Lucknow

Mangam

13. में घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / रजिस्ट्रार फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संमत कार्यवाही की जा सकेगी। मेरी की सभी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

Amrish Kumar
इ. अ. अध्यापक

Mangini
इ. अध्यक्ष



Mangini

Sworn & Verified
Before Me

AMRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
Vill. Daula, Dist. Ludhiana
Punjab, India

I know and identify the Applicant who
has signed/put his signature